



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2020

आश्विन 28, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या यू0ओ0-70/छ:-पु०-9-20-167जी-2009टीसी-न्याय-2

लखनऊ, 20 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-274

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतदपश्चात् उनके न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किये गये हों, के विचारण के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए पीठासीन अधिकारियों/विशेष न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती हैं और यह निदेश देती हैं कि उक्त क्षेत्रों के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों, जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र पहले से ही दाखिल किये गये हों, का भी विचारण और निस्तारण, संबंधित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा किया जायेगा और उनके न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में अभिहित किये जायेंगे।

## अनुसूची

क्रम-संख्या	अधिकारियों का नाम	न्यायालय का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता (जिला)
1	2	3	4
1	श्रीमती मीना श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ	विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0, कोर्ट संख्या-06, लखनऊ	जौनपुर, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, गोण्डा, ललितपुर, बलिया, सुल्तानपुर एवं बाँदा
2	श्री रमेश चन्द्र-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ	विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0, कोर्ट संख्या-03, लखनऊ	वाराणसी, बदायूँ, रायबरेली, फैजाबाद, जालौन स्थान उरई, सिद्धार्थनगर एवं प्रतापगढ़
3	श्री अजय विक्रम सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ	विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0, (पश्चिम), लखनऊ	लखनऊ, श्रावस्ती, पीलीभीत, अम्बेडकरनगर एवं महाराजगंज
4	श्री मनोज पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ	विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0, (सेन्ट्रल), लखनऊ	कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी एवं कांशीरामनगर

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवरथी,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O. 70/VI-P-9-20-167G-2009 TC-Nyay-2, dated October 20, 2020:

No. U.O. 70/VI-P-9-20-167G-2009 TC-Nyay-2

*Dated Lucknow, October 20, 2020*

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-sections (2) and (3) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) hereinafter referred to as the said Act, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to appoint from the date of their taking over charge, the Additional District and Sessions Judges mentioned in Column-2 of the Schedule below, as Presiding Officers/Special Judges for the areas mentioned in Column-4 of the said Schedule for trial of such offences as specified in sub-section (1) of section 3 of the said Act under which, hereinafter charge sheets are filed in their courts and to direct that such other cases arising within the said areas, in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act, shall also be tried and disposed off by the Additional District and Sessions Judges concerned and the courts thereof shall be designated as specified in Column-3 of the said Schedule .

SCHEDULE

Sl. no.	Name of the officer	Name of the court	Territorial jurisdiction (District)
1	2	3	4
1	Smt. Meena Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Lucknow	Special Judge, Anti Corruption, C.B.I., Court No.-06, Lucknow	Jaunpur, Sant Kabir Nagar, Shahjahanpur, Gonda, Lalitpur, Ballia, Sultanpur and Banda
2	Sri Ramesh Chand-II, Additional District and Sessions Judge, Lucknow	Special Judge, Anti Corruption, C.B.I., Court No.-03, Lucknow	Varanasi, Badaun, Rae Bareli, Faizabad, Jalaun at Orai, Siddharthnagar and Pratapgarh
3	Sri Ajay Vikram Singh, Additional District and Sessions Judge, Lucknow	Special Judge, Anti Corruption, C.B.I., (West), Lucknow	Lucknow, Shravasti, Pilibhit, Ambedkar Nagar and Maharajganj
4	Sri Manoj Pandey, Additional District and Sessions Judge, Lucknow	Special Judge, Anti Corruption, C.B.I., (Central), Lucknow	Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Kushinagar, Kaushambi and Kansi Ram Nagar

By order,  
AWANISH KUMAR AWASTHI,  
*Apar Mukhya Sachiv.*